न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 21/2018 (225 आरटीए) भंवरी वगै. बनाम मधुदवी वगै.

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00020)

1 भंवरी पत्नी श्री सोहनराम जाति विश्नोई,
2 गीता पत्नी श्री पेमाराम जाति विश्नोई,
3 विद्या पत्नी श्री मुकनाराम जाति बिश्नोई
निवासी कोसाणा तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 श्रीमती मधुदेवी पत्नी श्री संतोष कुमार जाति बिश्नोई निवासी कोसाणा, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
2 बख्साराम पुत्र श्री भबूतराम जाति मेघवाल निवासी कोसाणा, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।
3 भूमिधारी जरिए तहसीलदार पीपाड़शहर जिला जोधपुर।

..... रेस्सपोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर दिनांक 05.02.2018 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1308/2017

उपस्थित :

1 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री जावेद हुसैन।
2 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्तागण जगदीशचंद्र व श्री बाबूलाल विश्नोई।
3 रेस्पो. सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई
4 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी।

निर्णय

दिनांक : 28.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1308/2017 में पारित आदेश दिनांक 05.02.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर के समक्ष धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी

28/8/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेंट्स की ओर से राजस्व प्रार्थना पत्र सं. 1308/2017 पेश किया कि रेस्पो. सं. 1 की खातेदारी की कब्जाशुदा भूमि ग्राम कोसाणा तहसील पीपाड़शहर में खसरा नं. 151 व 158 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा व 9 बीघा 12 बिस्वा आई हुई है। रेस्पो. सं. 2 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 157 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा व अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 156 रकबा 17 बीघा 11 बिस्वा आई हुई है। रेस्पो. सं. 1 की भूमि के लिए कटाणी रास्ता उपलब्ध नहीं हैं, रेस्पो. सं. 1 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 151 व 158 में आने जाने के लिए कटाणी मार्ग से निकटतम व शुलभतम रास्ता जो अप्रार्थी सं. 2 से 4 के खेत खसरा नं. 156 की दक्षिणी माट जहां रेस्पोडेंट की ढाणियां खसरा नं. 157 तक बनी हुई हैं वहां तक रास्ता वैसे भी चलायमान है उससे आगे खसरा नं. 157 जो रेस्पो. सं. 1 की खातेदारी का है में प्रवेश कर सकता है एवं खसरा नं. 157 की दक्षिणी माट के सहारे–सहारे खसरा नं. 158 में प्रवेश कर सकता है। रेस्पो. सं. 1 ने अपने प्रार्थनापत्र के साथ नजरी नक्शा भी संलग्न किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अपीलांट/अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया व मौका रिपोर्ट मंगवाई गई तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट्स की ओर से अधिवक्ता श्री जावेद हुसैन ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2018 विधि विरुद्ध व रिकार्ड के विरुद्ध होने से काबिल खारिज है। रेस्पो. ने अपने प्रार्थना पत्र में जो तथ्य अंकित किए हैं वह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं हैं। रेस्पो. सं. 1 द्वारा कुलशित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जानबूझकर प्रार्थना पत्र में अपीलांट की रहवासीय ढाणियों के बीच से रास्ता मांगा है जो रेस्पो. सं. 1 के कुलशित उद्देश्यों को दर्शाता है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा आधा अधूरा है जो मौके की वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाता है। रेस्पो. सं.1 के लिए नजदीक रास्ता होने के बावजूद भी मात्र अपीलांट की जमीन को उससे वंचित करने के लिए प्रार्थना पत्र एवं आधा अधूरा नजरी नक्शा पेश किया है। उक्त समस्त तथ्य पत्रावली पर होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य

28/8/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश पारित किया है जो अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो मौका रिपोर्ट दिनांक 12.12.2017 को तलब की गई उसमें वस्तुस्थिति अंकित की कि भूमि से चिपते खसरा नं. 150 की उत्तरी सीमा के साथ–साथ रास्ता हो सकता है जो कि नजदीकी रास्ता है एवं मुख्य सड़क से लगता है। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस नजदीकी प्रस्तावित रास्ते बाबत किसी प्रकार की फाइंडिंग दिए बिना जो आलोच्य आदेश पारित किया है वह अपास्त होने योग्य है। रेस्पो. सं. 1 द्वारा रेस्पो. सं. 2 से मिलावट कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया ताकि रेस्पो. सं. 1 अपने कुलशित उद्देश्यों में सफल हो जावे एवं अपीलांट के स्वामित्व की भूमि से वंचित किया जा सके। प्रकरण में मौका रिपोर्ट के समय भी अपीलांट्स को सूचित नहीं किया। मौका रिपोर्ट पटवारी द्वारा तैयार की गई है जिसको मौका रिपोर्ट तैयार करने का क्षेत्राधिकार नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. सं. 1 ने मात्र 75 फुट रास्ता मांगा है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने 542 फुट लंबा रास्ता बाबत आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र रेस्पो. सं. 1 के पक्ष में आदेश पारित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जबकि अपीलांट के जबाब में उठाई गई आपत्तियों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया है एवं न ही किसी प्रकार से कोई मत पारित किया ना ही निस्तारण किया अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करने एवं अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

5 रेस्पो. सं. 1 की ओर से अधिवक्तागण श्री बाबूलाल विश्नोई एवं श्री जगदीश चंद्र विश्नोई ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि के अनुसार पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की आपत्तियों को सुनकर खारिज करके अपीलाधीन आदेश मैरिट पर पारित किया गया है। प्रकरण में रेस्पो. सं. 2 को भी रास्ते की आवश्यकता है अतः अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है उसमें दिया गया रास्ता नजदीक है व रेस्पो. सं. 1 व 2 दोनों के लिए काम आएगा ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट में सुझाया गया विकल्प सही नहीं हैं। अपीलांट ने प्रकरण को लंबा करने के लिए यह अपील लगाई है अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पो. सं. 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. सं. 1 के खातेदार ने अपनी भूमि के लिए रास्ते की मांग की है। रेस्पों सं. 2 बख्साराम को भी अपनी खातेदारी भूमि के लिए रास्ता चाहिए। रेस्पो. सं. 1 की भूमि के लिए रेस्पो.

28/8/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सं. 2 बख्साराम ने अपने खेत में से कहीं से भी रास्ता देने पर कोई आपत्ति नहीं की है। प्रकरण में अपीलांट द्वारा आपत्तियां पेश की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दुबारा मौका रिपोर्ट प्राप्त की जो तहसीलदार ने पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार करके अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसे निरस्त करना किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। अतः अपीलांट की अपील खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 रेस्पो. सं. 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी ने बहस में कथन किया कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

7 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

8 इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो. सं. 1 ने अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 151 व 158 के लिए अपीलांट्स के खेत खसरा नं. 156 में से रास्ते की मांग की। आवेदन पत्र में यह भी अंकित किया है कि अप्रार्थी सं. 1 बख्साराम जिसको स्वयं के खेत में खसरा नं. 157 के लिए रास्ते की आवश्यकता है अतः वह अपने खेत से रास्ता देने के लिए सहमत है परंतु वादपत्र पर हस्ताक्षर नहीं होने से अप्रार्थी को पक्षकार बनाया है। अतः उक्तानुसार खसरा नं. 156 में से खसरा नं. 157 में होते हुए संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार रास्ते की मांग की गई।

अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में विवेचन किया है कि अप्रार्थी सं. 2, 3, 4 की ओर से दिनांक 02.01.2018 को प्रार्थना पत्र बाबत् मौका कमिश्नर नियुक्त करने बाबत् पेश किया गया जिसे स्वीकार कर पुनः मौका मुआयना करने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा दिनांक 17.02.2018 को मौके का निरीखण किया गया एवं रिपोर्ट पेश की गई कि संलग्न फर्द मौका अनुसार ग्राम कोसाणा के खसरा नं. 151 व 158 में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा नं. 156 व 157 की उत्तरी माठ के सहारे–सहारे 2 गट्ठा चौड़ा रास्ता दिया जा सकता है जो मौका फर्द में नजरी नक्शा में बिंदु एफ.जी. एच. से दर्शाया गया है। संलग्न फर्द मौका में दर्शाया गया दूसरा नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता आई.जे.के. रास्ता खसरा नं. 760 से संभव है। खसरा नं. 163 रकबा कुल 58 बीघा 10 बिस्वा बीघा में से आई.जे.के. का रकबा 10 बिस्वा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन कर व बहस वकुलाय सुनकर अपनी फाइंडिंग इस प्रकार दी कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट अनुसार प्रार्थिया ने अपने खेत खसरा नं. 151 व 158 में

28/8/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. 157 व 156 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे रास्ता दिया जाने की मांग की है वो नजरी नक्शे में ए.बी. सी. दर्शाया गया है। नजरी नक्शे में अंकित बिंदु डी. व ई. मौके पर पक्के मकान बने हुए हैं बिंदु डी. व ई के मध्य 10 फुट जगह खाली है। अतः उक्त दोनों आवासीय मकानों के मध्य 2 गट्ठा चौड़ा रास्ता दिया जाना संभव नहीं हैं। अतः प्रार्थिया को खसरा नं. 156 व 157 की उत्तरी माठ के सहारे–सहारे 2 गट्ठा चौड़ा रास्ता दिया जा सकता है। जो नजरी नक्शे में एफ.जी.एच. से दर्शाया गया है। मौके पर एक विकल्प और उपलब्ध है जो नजरी नक्शे में दर्शित बिंदु आई.जे.के रास्ता, कटाणी रास्ता खसरा नं. 760 से संभव है। खसरा नं. 163 में से आई.जे.के. का रकबा 10 बिस्वा बनता है। इस प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्रार्थिया के खेत खसरा नं. 158 व 151 में आवागमन हेतु तीन विकल्प दर्शित किए हैं। जिनमें प्रथम विकल्प जहां से प्रार्थिया ने रास्ते की मांग अपने प्रार्थना पत्र में की है वहां पर नजरी नक्शे में अंकित बिंदु डी व ई मौके पर पक्के मकान बने हुए हैं एवं इन दोनों के मध्य केवल 10 फुट जगह खाली है अतः उक्त दोनों आवासीय मकानों के मध्य रास्ता दिया जाना संभव नहीं हैं। द्वितीय विकल्प में खेत खसरा नं. 156 व 157 की उत्तरी माठ के सहारे–सहारे 2 गट्ठा रास्ता प्रस्तावित किया है जो नजरी नक्शे में एफ.जी.एच. से दर्शाया गया है। तृतीय विकल्प के तौर पर खसरा नं. 163 में नजरी नक्शे में दर्शित आई.जे.के. रास्ता जो खसरा नं. 760 कटाणी रास्ता से संभावित बताया है। अधीनस्थ न्यायालय ने तीनों रास्तो पर विचार किया कि प्रार्थिया द्वारा अपने खेत खसरा नं. 158 व 151 में आवागमन हेतु रास्ता चाहा गया है। चाहे गए रास्ते के अंतर्गत आने वाले खसरा नं. 156 के खातेदार अप्रार्थी सं. 2 से 4 है तथा खसरा नं. 157 के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 है। अप्रार्थी सं. 1 ने हालांकि अपने जवाब मे अपने खेत खसरा नं. 157 की दक्षिणी माठ के सहारे–सहारे रास्ता दिए जाने पर सहमति दी है लेकिन बहस में कहीं से रास्ता अपने खेत से देने हेतु निवेदन किया है। प्रकरण के अवलोकन एवं नजरी नक्शा खसरा नं. 156, 157, 158 व 151 से स्पष्ट है कि अप्रार्थी सं. 1 के खेत खसरा नं. 157 में भी आने जाने का रास्ता नहीं हैं। इस प्रकार अगर खेत खसरा नं. 156 व 157 की उत्तरी माठ के सहारे–सहारे घोषित किया जाता है। जो तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा भी प्रस्तावित किया है तो प्रार्थिया के साथ–साथ अप्रार्थी सं. 1 को भी अपने खेत खसरा नं. 157 में आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार तृतीय विकल्प जिसमें खसरा नं. 163 से रास्ता प्रस्तावित किया है वह उचित नहीं हैं।

9 इस प्रकार इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 251क के प्रावधान

28/8/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनुसार मौके पर तहसीलदार से जांच करवाकर व पक्षकारान को विधिवत सुना जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलांट द्वारा तृतीय विकल्प जिसमें खसरा नं. 163 से रास्ता देने बाबत बहस में तर्क दिया लेकिन इस प्रकरण में अप्रार्थी सं. 1/रेस्पो. सं.2 को भी रास्ते की आवश्यकता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी सं. 1 की रास्ते की मांग व उसके द्वारा रास्ता कहीं से भी अपने खेत से निकालने की सहमति देने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया है वह उचित पाया जाता है। अपीलांट द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा सहमति को कुलशित उद्देश्य का बताया जाना उचित नहीं हैं क्योंकि प्रार्थना पत्र के समय से ही अप्रार्थी सं. 1 को रास्ते की आवश्यकता होना व उसके द्वारा सहमति दिया जाना पाया जाता है। इस प्रकार एक ही प्रार्थना पत्र से दो खातेदारों को रास्ता उपलब्ध कराया है अतः अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है व इस न्यायालय के स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं हैं। अतः अपील खारिज योग्य पाई जाती है।

10 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.02.2018 यथावत रखा जाता है।

28/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

11 निर्णय आज दिनांक 28.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर